न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नं. – 2020/00200
प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 दायर दिनांक 13–07–2020

1. सुलोचना पत्नी रणवीर सिंह महला जाति जाट निवासी ग्राम माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. रामकुमवारी पत्नी हरफूल जाति जाट निवासी ढाका का बास तन भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक– श्री विप्वल पंडित
वकील अनावेदक–एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 15–02–2021

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम जयंसिंहपुरा पटवारी हल्का बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 156 की भूमि खसरा नम्बर 380/2 रकबा 0.5707 हैक्टर स्थित है, जिसकी प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार है तथा राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 118 की भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.55 हैक्टर स्थित है, जिसकी अप्रार्थीया संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीया अपने खेत खसरा नम्बर 380/2 में पहुंच के लिये खसरा नम्बर 21 में से रासता के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 21 के उतर में एक रास्ता ग्राम बड़वासी से ढाका का वास को जाता है, जो कटानशुदा है, उक्त रास्ते के दक्षिण में अप्रार्थीया संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 21 है तथा खसरा नम्बर 21 के दक्षिण में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 380/2 है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 380/2 मे जाने के लिए कोई रास्ता नही लगता है, जिसके कारण प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आने–जाने में असमर्थ है, ना ही कृषि उपकरण ट्रेक्टर, ट्राली व अन्य आवागमन के साधन लाने व ले जाने के असमर्थ है तथा कृषि कार्य से वंचित है। प्रार्थीया को खसरा नम्बर 380/2 में आने–जाने के लिये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए ग्राम बडवासी मे जयसिंहपुरा आने वाले रास्ते से शुरू होकर खसरा नम्बर 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 380/2 की उतरी–पश्चिमी कोने तक खसरा नम्बर 380/2 के लिये 15 फीट चौड़े रास्ते की डिमाण्ड अप्रार्थीया संख्या 1 से कर रही है, जो प्रार्थीया को खसरा नम्बर 21 मे से अप्रार्थी संख्या 1 से उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थीया ने उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे मे ''ए'' से ''बी'' बिन्दुओ से लाल रंग से प्रदर्शित किया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया के पास अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 380/2 में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीया को अपनी भूमि को काश्त करने, मवेशी लाने ले जाने, आवागमन के साधन, कृषि उपकरण आदि लाने व ले जाने व कृषि कार्य के लिये रास्ते आत्यन्तिक आवश्यकता है, रास्ते के अभाव में कृषि कार्य से प्रार्थीया वंचित है, इसलिये प्रार्थीया को खसरा नम्बर 380 में पहुंच के लिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित "ए" से "बी" रास्ता खसरा नम्बर 21 में से अप्रार्थीया संख्या 1 ये 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे, प्रार्थीया कानून में प्रावधाननुसार रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अथवा जमीन के बदले जमीन देने के लिये तैयार है। उक्त रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट भी है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थीया संख्या 1 से सहमति के आधार पर रास्ता देने के लिये बार-बार निवेदन किया है, परन्तु अप्रार्थीया संख्या 1 ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया, इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पक्षकारान व भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिये श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षैत्राधिकार में है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 156 की भूमि खसरा नम्बर 380/2 रकबा 0.5707 हैक्टर में पहुंच के लिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में "ए" से "बी" बिन्दुओं से लाल रंग से प्रदर्शित 15 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में भूमि खाता संख्या 118 की भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68 हैक्टर स्थित है, में से अप्रार्थीया संख्या 1 से प्रार्थीया को दिलाया जावे। प्रार्थीया कानून में वर्णित प्रावधानों की न्यायालय के आदेशानुसार पालना के लिये तैयार है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 2 की तलबी सम्यक रूप से प्रर्याप्त होने पर भी इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ के क्रमांक/राजस्व/2020/175 दिनांक 02.02.2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि :-

1. ग्राम जयसिंहपुरा कि जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 156 मे खसरा नम्बर 380/2रकबा 0.5707 हैक्टर बारानी द्वितीय कि खातेदारी सुलोचना पत्नी रणवीर सिंह जाति जाट साकिन माण्डासी खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
2. आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 380/2 में पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68 हैक्टर मे से नया रास्ता लेने हेतु आवेदन किया है जो सबसे नजदीक है।
3. खसरा नम्बर 380/2 के खसरा नम्बर 21 कि पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 504 गै.मु. रास्ता जो बड़वासी से ढाका का बास जयससिंह पुरा भगेरा जाता है कि कि लम्बा 135 मीटर है जो मौके पर चालू है व कटानी रास्ता है।
4. आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते कि लम्बाई 135 मीटर x 4 मीटर = 540 वर्गमीटर होती है। खेत खसरा नम्बर 21 कि खातेदारी रामकुवारी पत्नी हरफूल जाति जाट साकिन ढाका का बास के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 21 के खातेदार ने अपने खेत में उत्तर दिशा में 4 फीट ऊंचाई में दिवार बनाकर तार खींचे हुये है।
5. चाहे गये रास्ते कि लम्बाई 135 मीटर x 4 मीटर = 540 वर्गमीटर बनती है।

तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 21 के पश्चिमी सीमा के सहारे बिन्दु संख्या "ए" से "बी" कि दूरी 135 मीटर है। खसरा नम्बर 21 कि उत्तरी सीमा पर 4 फीट ऊचांई में दीवार बनी हुई है। खसरा नम्बर 380/2 के उत्तरी पश्चिमी सीमा से खसरा नम्बर 21 के उत्तरी पश्चिमी सीमा तक लम्बाई 135 मीटर ग 4 मीटर त्र 540 वर्गमीटर है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। आवेदक वकील द्वारा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 156 की भूमि खसरा नम्बर 380/2 रकबा 0.5707 हैक्टर में पहुंच के लिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में "ए" से "बी" बिन्दुओं से लाल रंग से प्रदर्शित 15 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में भूमि खाता संख्या 118 की भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68 हैक्टर स्थित है, में से अप्रार्थीया संख्या 1 से प्रार्थीया को दिलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यों पर मनन किया गया। यह तथ्य सही है कि आवेदक के खेत खसरा में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार भी वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य रिकार्ड पर नही आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68 हैक्टर के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते कि लम्बाई 135 मीटर X 4 मीटर = 540 वर्गमीटर लम्बा रास्ता आवेदिका के खेत खसरा नम्बर 380/2 की उतरी पश्चिमी सीमा तक गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डी.एल.सी. की दो गुणा राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता (सिवााय चक) दर्ज करें। डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि अनावेदक को दिलाई जावे। अनावेदक द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
नवलगढ

Scanned by CamScanner